उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-24/2016/353/नौ-5-16-32सा/2016
लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2016

X

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन** (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान (GIS Based Master Plan) बनाए जाने सम्बन्धी सुधार (रिफार्म) को अमृत नगरों में किया जाना है। यह सुधार कार्य किए जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है तथा 48 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस सुधार कार्य करने हेतु कन्सेल्टिंग फर्म के चयन हेतु आर.एफ.पी. डाक्यूमेन्ट भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसके आधार पर अमृत नगरों के लिए कन्सेल्टिंग फर्म का चयन किया जाना है। इस सुधार कार्य हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण व रेग्युलेटरी अँथारिटी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित होगा। अतः जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान (GIS Based Master Plan) बनाए जाने सम्बन्धी सुधार के क्रियान्वयन में नियुक्त कन्सेल्टेन्ट के कार्य-कलापों की समीक्षा, मूल्यांकन आदि के लिए राज्य एवं नगर निगम व नगर पालिका परिषद स्तर पर एक-एक समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) राज्य स्तर पर :

1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3	निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
4	अर्बन प्लानर, स्टेट मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट, लखनऊ	सदस्य
5	मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य सचिव

(2) नगर निगम स्तर पर :

1	नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी संबंधित विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	संयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
4	अर्बन प्लानर, स्टेट मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट, लखनऊ	सदस्य
5	मुख्य अभियन्ता, संबंधित नगर निगम, उत्तर प्रदेश।	सदस्य सचिव

(3) नगर पालिका परिषद स्तर पर :

1	संबंधित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी संबंधित विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
4	अर्बन प्लानर, संबंधित सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट, लखनऊ	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद	सदस्य सचिव

उमा शंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-24/2016/353(1)/नौ-5-16-32सा/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् उत्तर प्रदेश।
(8) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विशवविद्यालय, लखनऊ।
(10) अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(11) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(12) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(13) अन्य सम्बन्धित सदस्य।
(14) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,